आजमगढ़

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2018/6643 दिनांक : 22.5. 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
सम्बद्ध समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

विषयः. मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 (डा0 दिनेश शर्मा) की अध्यक्षता में दिनांकः 01.02.2018 को सम्पन्न बैठक में अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ0प्र0 की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0शि0उ0प्र0 शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, इलाहाबाद के पत्र पत्रांक डिग्री विकास/328–49/2018–2019, दिनांकः 12.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शासन को अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजानान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों एवं कार्यरत शिक्षको के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर सूचना माँगी गयी है–

1. 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों मे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमें ऐसे कितने महाविद्यालय है जो स्थायी मान्यता प्राप्त है एवं 05 वर्ष से अनवरत रूप से संचालित है ?
2. उक्त महाविद्यालयों में जिनमें 05 वर्ष से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमें कुल कितने स्ववित्तपोषित शिक्षक कार्यरत है। उक्त के क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांकः 31.01.2018 में दी गयी व्यय–भार की गणना में से समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि घटाते हुए शुद्ध व्यय–भार की सूचना उपलब्ध करायें। शासन के पत्र दिनांकः 05 अप्रैल 2018 की प्रति संलग्न है।

अतएव उपरोक्त के क्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार तत्काल सूचना अद्योहस्ताक्षरी को 02 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि उक्त सूचना से निदेशक, उ0शि0उ0प्र0 को अवगत कराया जा सके।

क0	महाविद्यालय का नाम	05 वर्ष से स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अनवरत संचालित पाठ्यक्रम/विषयों के नाम (पाठ्यक्रमानुसार अलग–अलग विषयों के विवरण सहित)	पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी मान्यता का वर्ष	पाठ्यक्रम/विषय में विगत 05 वर्षों से अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का विवरण (नाम, पिता का नाम, अनुमोदन का दिनॉक, विषय एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि)

संलग्नकः: यथोपरि।
(कुलसचिव प्रकोष्ठ)

भवदीय,

डा0 (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रति संलग्नको सहित विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा वि0वि0 से सम्बद्ध समस्त अनुदानित महाविद्यालयों के कालेज लाग–इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

डा0 (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

17
16/04/018

प्रेषक,

अति महत्वपूर्ण/स्मरण पत्र

निदेशक, उ0शि0, उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

2383
16/04/18

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

पत्रांक डिग्री विकास/ 328-49 /2018-19 दिनांकः 12-4-2018

विषय-मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 (डा0 दिनेश शर्मा) की अध्यक्षता में दिनांक 01-02-2018 को सम्पन्न बैठक में अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ उ0प्र0 की मांगो/समस्याओं के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया निदेशालय के पत्रांक डिग्री विकास/17562-87/2017-18 दिनांक 12.2.2018 एवं पत्रांक डिग्री विकास/17777/2017-18 दिनांक 31.3.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रश्नगत प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार 02 बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि संदर्भगत विषय पर अद्यतन दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सूचना प्राप्त है जबकि शेष किसी भी कार्यालय/विश्वविद्यालय से वांछित सूचना अप्राप्त होने के कारण शासन को प्रेषित किया जाना संभव नही हो पा रहा है। अवगत कराना है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु शासन से निरंतर बार-बार स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे है अतएव यह स्थिति संतोषजनक नही है। प्रश्नगत प्रकरण में यह अवगत कराना समीचीन होगा कि पूर्व में आपके कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास/17547/2017-18 दिनांक 31 जनवरी 2018 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा शासन को संकलित सूचना प्रेषित की गयी थी। आहूत बैठक के उपरांत विषयगत प्रकरण में शासन को संशोधित सूचना पत्रांक डिग्री विकास/17588/2017-18 दिनांक 12 फरवरी 2018(छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित की गयी है तथा शासन ने पुनः निम्नलिखित बिन्दुओं 02 बिन्दुओं पर सूचना की मांग की गयी है-

गुणवत्ता Cell
को सूचनार्थ
18.4.18

1. 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यकम संचालित है उनमें ऐसे कितने महाविद्यालय है जो स्थायी मान्यता प्राप्त है एवं 05 वर्ष से अनवरत रूप से संचालित है?
2. उक्त महाविद्यालयों में जिनमें 05 वर्ष से स्ववित्तपोषित पाठ्यकम संचालित है उनमें कुल कितने स्ववित्तपोषित शिक्षक कार्यरत है। उक्त के कम में निदेशक, उच्च शिक्षा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31–01–2018 में दी गयी व्यय–भार की गणना में से समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि घटाते हुए शुद्ध व्यय–भार की सूचना उपलब्ध करायें। शासन के पत्र दिनांक 05 अप्रैल 2018 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक–उक्तवत।

भवदीय

12-04-18

डा0(एस0पी0 खरे)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री विकास/ 328-49 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा0(एस0पी0 खरे)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0, इलाहाबाद।

1/4/18

ए/c

संख्या– 134 / सत्तर–2–2018–16(12) / 2016

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊःदिनांकः 05 अप्रैल, 2018

विषयः– मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0 (डॉ0 दिनेश शर्मा जी) की अध्यक्षता में दिनांक 01–02–2018 को अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ उ0प्र0 की मांगों/समस्याओं के संबंध में विचार हेतु बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–48 / सत्तर–2–2018–16(12) / 2016 दिनांक 02–02–2018 एवं संख्या–53 / सत्तर–2–2018–16(12) / 2016 दिनांक 08–02–2018 के कम में उपलब्ध करायी गयी सूचना पत्रांक–17588 / 2017–18 दिनांक 12–02–2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– शासन के उक्त पत्र दिनांक 02–02–2018 एवं 08–02–2018 द्वारा अनुदानित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ उ0प्र0 की मांगों / समस्याओं के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया थाः–

(1) 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है, उनमे ऐसे कितने महाविद्यालय है जो स्थायी मान्यता प्राप्त है एवं 05 वर्ष से अनवरत रूप से संचालित हो रहे है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में जिनमें 05 वर्ष से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमें कुल कितने स्ववित्तपोषित शिक्षक कार्यरत है। उक्त के कम में निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31–01–2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय भार की गणना में से समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि घटाते हुए शुद्ध व्यय भार।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचना अपूर्ण है कृपया शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की सूचना मण्डल क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त शुद्ध व्यय–भार की गणना कर पूर्ण सूचना 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संoनिo
06-04-18
5
06-04-18
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
डिप्टी बिकास
टेक्नोल / सम्पर्क
06.04.18
श्री प्रदीप
06.4.18

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उ०शि०, उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अनुसचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक डिग्री विकास/ 17547 /2017–18 दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय– निजी प्रबंधतंत्रों के माध्यम से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं उनमें अनुमोदित स्ववित्तपोषित शिक्षकों के संबंध में दिनांक 1.2.2018 को आहूत बैठक के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने तथा आहूत बैठक में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निजी सचिव, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 37/सामा0/वि0/2017 दिनांक 5.1.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 उपमुख्यमंत्री, उ0प्र0 (डा0 दिनेश शर्मा जी) की अध्यक्षता में दिनांक 01 फरवरी 2018 को अपरान्ह 4.00 बजे अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ0प्र0 की मांगों/समस्याओं के संबंध में विचार हेतु आहूत बैठक में संबंधित क्षेत्राधिकारियों सहित प्रतिभाग किये जाने के संबंध में है। सूच्य है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 5.1.18 के साथ संलग्न डा0 के0एस0 पाठक, प्रदेश अध्यक्ष के पत्र दिनांक 29.12.2017 के अनुक्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में से 3663 अनुमोदित स्ववित्तपोषित शिक्षकों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है–

क्रम	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्ववित्तपोषित कालेजों की संख्या	विश्वविद्यालय से अनुमोदित स्ववित्तपोषित शिक्षकों की संख्या	छठें वेतनमान के अनुसार अनुमानित न्यूनतम व्ययभार (प्रतिमाह)	सातवें वेतनमान के अनुसार अनुमानित न्यूनतम व्ययभार(प्रतिमाह)
1	मेरठ	43	411	411x45000=18495000	411x67700=27824700
2	कानपुर	24	336	336x45000=15120000	336x67700=22747200
3	इलाहाबाद	09	128	128x45000=5760000	128x67700=8665600
4	आगरा	29	337	337x45000=15165000	337x67700=22814900
5	लखनऊ	56	732	732x45000=32940000	732x67700=49556400
6	बरेली	26	568	568x45000=25560000	568x67700=38453600
7	गोरखपुर	25	284	284x45000=12780000	284x67700=19226800
8	झांसी	11	171	171x45000=7695000	171x67700=11576700
9	वाराणसी	49	696	696x45000=31320000	696x67700=47119200
	योग–	272	3663	16,48,35,000-00	24,79,85,100-00

क– छठें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 45000 प्रदान किये जाने पर (12 माह)

16,48,35,000x12=1,97,80,20,000-00 (रुपये एक अरब सत्तानबे करोड़ अस्सी लाख बीस हजार)

ख– सातवें वेतनमान में दी गयी मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 67700 प्रदान किये जाने पर(12 माह)

24,79,85,100x12=2,97,58,21,200-00 (रूपये दो अरब सत्तानबे करोड़ अट्ठावन लाख इक्कीस हजार दो सौ)

संलग्नक–उपरोक्त।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

डा0(एस0पी0 खरे)
शिक्षा निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उ०शि०, उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अनुसचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक डिग्री विकास/ 1588 /2017–18 दिनांक 12-2-2018

विषय– मा० उपमुख्यमंत्री उ०प्र० (डा० दिनेश शर्मा जी) की अध्यक्षता में दिनांक 1.2.2018 को अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ०प्र० की मांगो/समस्याओं के संबंध में विचार हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि शासन कृपया पत्र संख्या–48/सत्तर–2–2018–16(12)/2016 दिनांक 2.2.2018 एवं पत्र संख्या 53/सत्तर–2–2018–16(12)/2016 दिनांक 08 फरवरी 2018 द्वारा अनुदानित महाविद्यालय /विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ०प्र० की मांगो/समस्याओं के संबंध में 02 बिन्दुओं पर सूचनाओं की मांग की गई है। वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि–

1. बिन्दु–1 में मांगी गयी वांछित सूचना क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/राज्य विश्वविद्यालयों से इस कार्यालय द्वारा मांगी गयी है जो अभी तक प्राप्त नही हो सकी है, प्राप्त होते ही उसे संकलित कराकर आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

2. 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कुल 3663 स्ववित्तपोषी अनुमोदित शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। उक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति में छठें वेतनमान के अनुसार अनुमानित वार्षिक व्ययभार रू0–**164835000x12**=1,97,80,20,000.00 (रूपये एक अरब सत्तानबे करोड़ अस्सी लाख बीस हजार मात्र) आने की संभावना है।

प्रश्नगत प्रकरण में आपके द्वारा उक्त व्ययभार की गणना में से समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि घटाते हुए शुद्ध व्ययभार की सूचना मांगी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि, भिन्न–भिन्न वर्षो में उपलब्ध धनराशि के आधार पर भिन्न–भिन्न होती है और यह धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खातों में सीधे समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतरित की जाती है। अतएव शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का आकलन निदेशालय स्तर पर संभव नही है। कृपया शासन वर्णित वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहे।

भवदीय

12.02.18

डा०(एस०पी० खरे)
संयुक्त निदेशक, उ०शि०,
कृते शिक्षा निदेशक, उ०शि०,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

o/c

तालिका–अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकों हेतु अनुमानित व्ययभार

कम	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्ववित्तपोषित कालेजों की संख्या	विश्वविद्यालय से अनुमोदित स्ववित्तपोषित शिक्षकों की संख्या	छठें वेतनमान के अनुसार अनुमानित न्यूनतम व्ययभार (प्रतिमाह)
1	मेरठ	43	411	411x45000=18495000
2	कानपुर	24	336	336x45000=15120000
3	इलाहाबाद	09	128	128x45000=5760000
4	आगरा	29	337	337x45000=15165000
5	लखनऊ	56	732	732x45000=32940000
6	बरेली	26	568	568x45000=25560000
7	गोरखपुर	25	284	284x45000=12780000
8	झांसी	11	171	171x45000=7695000
9	वाराणसी	49	696	696x45000=31320000
	योग–	272	3663	16,48,35,000-00

नोट– छठें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 45000 प्रदान किये जाने की स्थिति में वार्षित अनुमानित व्ययभार रूपये 16,48,35,000x12=1,97,80,20,000-00 (रूपये एक अरब सत्तानबे करोड़ अस्सी लाख बीस हजार) आने की संभावना है।